

ग्राम पंचायत लाहड़, विकास खण्ड नारोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा, हि० प्र० - 176023

के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-MC-(5)C(15)IAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लाहड़, विकास खण्ड नारोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वरिन्द्र सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती वाशला देवी	01/04/2022 से 05/09/2023
2.	श्री दिनेश सिंह	06/09/2023 से 18/12/2023
3.	श्री विजय कुमार	19/12/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री शशीधर	01/04/2022 से 15/06/2022
2.	श्री तेजेन्द्र पाल	16/06/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती डिम्पल रानी	01/04/2022 से 14/09/2023
2.	श्रीमती अर्चना देवी	15/09/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत लाहड़ के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹) (लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में अन्तर पाया जाना	0.02
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	23.21
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान अनियमित भुगतान पाया जाना	9.05
5.	8.2	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व शक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.38
6.	8.3	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.25
7.	8.4	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.59

8.	8.5	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.59
9.	8.6	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	7.27
10.	8.7	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	6.70
11.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करने के कारण अनियमित भुगतान करना	16.43
12.	9.2	मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना	3.36
13.	9.3	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान करना	2.65

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत लाहड़, विकास खण्ड नारोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.10.2024 से 22.10.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्वीतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	07/2022	05/2022
2023-24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 10/2024/लाहडू दिनांक 22.10.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/LAH/14/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधिचाचना क्रमांक 28/2024 दिनांक 16.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में दिया गया है:-

1. स्व: स्वीत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	168657.00	414027.00	582684.00	355658.00	227026.00
2023-24	227026.00	664357.00	891383.00	584096.00	307287.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1729289.95	2973310.85	4702600.80	2223090.80	2479510.00
2023-24	2479510.00	698743.83	3178253.83	857395.84	2320857.99

कुल योग (1+2) = 307287.00 + 2320857.99 = 2628144.99

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष

₹26,28,144.99 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹26,26,154.99**

(परिशिष्ट - "ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	KCCB ज्वाली	20024009053	₹ 3,07,287.00
2.	मुख्यमंत्री आवास योजना (M.M.A.Y.)	KCCB ज्वाली	50065716517	₹ 1,853.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB ज्वाली	50058195013	₹ 3,13,027.00

4.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	KCCB ज्वाली	50055824080	₹ 50,018.00
5.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	KCCB ज्वाली	50068733471	₹ 12,303.00
6.	स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	KCCB ज्वाली	50055824091	₹ 27,822.00
7.	राजीव आवास योजना (RAY/AAY)	KCCB ज्वाली	50056730869	₹ 0.00
8.	13वाँ वित्त आयोग (13 th FC)	KCCB ज्वाली	50051152702	₹ 70,210.00
9.	14वाँ वित्तयोग (14 TH FC)	KCCB ज्वाली	50055824046	₹ 34.00
10.	15वाँ वित्तयोग (15 TH FC)	KCCB ज्वाली	50071891944	₹ 18,40,600.99
11.	विवाह पंजीकरण शुल्क (Marriage Regi. Fees)	KCCB ज्वाली	50076906627	₹ 3,000.00
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			₹ 0.00
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों व हस्तगत शेष का कुल योग :			₹ 2626154.99
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (वित्तीय स्थिति/पैरा 4 (क)) अन्तशेष			₹26,28,144.99
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 को कुल योग			₹26,26,154.99
			अंतर :-	₹1,990.00

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि

₹0.02 लाख का अंतर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹1,990.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/लाहड़ दिनांक 18.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/05/2024 दिनांक 19.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में मिलान कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 5वां राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के आय-व्यय का लेखांकन ई ग्राम स्वराज (PRIA Soft) लेखा प्रणाली पर नियमानुसार न करना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIA Soft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIA Soft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 5वां राज्य वित्त आयोग (5TH SFC) से प्राप्त राशि के आय-व्यय से संबंधित लेन-देन एवं लेखांकन सभा निधि बैंक खाता एवं रोकड़ बही में किया जा रहा जोकि अनियमित है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा PRIA Soft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) पर रोकड़ बहियों के संचालन बारे जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/लाहड़ दिनांक 18.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/05/2024 दिनांक 19.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि 5वां राज्य वित्त आयोग (5TH SFC) का पृथक बैंक खाता खोल लिया जाएगा व PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई-ग्राम स्वराज) पर अद्यतन कर दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्पष्ट दिशा-निर्देशों के होते हुये भी आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही अमल में न लाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें तथा अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, करधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्वोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/लाहडू दिनांक 18.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/06/2024 दिनांक 19.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹23.21 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधिपाचना क्रमांक 28/2024 दिनांक 16.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - "क" व परिशिष्ट - "ख"** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 23,20,857.99** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/लाहडू दिनांक 18.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/06/2024 दिनांक 19.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायत) हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या पी०सी०एच० ए० (5) सी० (15)313/89-8988-9009 तथा 7698-7709 क्रमशः दिनांक 25.06.2004 व 28.06.2006 के दिशा निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रदान किये जाने वाले अनुदानों के स्वीकृति पत्र, कार्य निष्पादन की शर्तें व दिशा-निर्देश की प्रतियाँ ग्राम पंचायतों को प्रेषित की जानी अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट,

लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए, लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं कार्य निष्पादन की शर्तें एवं दिशा-निर्देश क्या थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/लाहडू दिनांक 18.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/06/2024 दिनांक 19.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.39 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹38,700.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "घ" पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही/वसूली के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹9.05 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये की खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप पंचायत

सचिव द्वारा, अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/लाहड़ दिनांक 21.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक GP/LAH/10/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट - "ड"** पर, संलग्न विवरणानुसार **₹ 9,04,529.38** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर पंचायती राज विभाग द्वारा समय-2 पर जारी निर्देशों के दृष्टिगत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹ 9,04,529.38** के अनियमित भुगतान एवं अंकेक्षणावधि में इस प्रकार किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.38 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत पैरा क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पथरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिकवियर्स की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के चलते पंचायत सचिव द्वारा, अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/लाहड़ दिनांक 21.10.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक GP/LAH/11/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को अंकेक्षण अवधि के दौरान पथरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिकवियर्स की कटौती किए बिना कुल राशि **₹3,07,884.15** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹38,485.52** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिकवियर्स की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिकवियर्स की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिकवियर्स की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिकवियर्स की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु संकर्मों सम्बन्धी व्यय वाउचरों की सत्यापना एवं नमूना जांच नियमानुसार तकनीकी सक्षम अधिकारियों से करवाने उपरान्त ही भुगतान किये जायें।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.25 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं करधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST - अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST - अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के चलते पंचायत सचिव द्वारा, अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 28/2024 दिनांक 16.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा, आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹12,72,766.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹25,455.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहडू दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी.

टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.4 अग्रिम राशि ₹1.59 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, करधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और पंचायत सचिव द्वारा अधियाचना क्रमांक 28/2024 दिनांक 16.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित फतेहपुर को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹1,59,251.40** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट “ज”** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10 2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10 2024 द्वारा बताया गया कि अभिलेख शीघ्र तैयार कर अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित फतेहपुर को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.5 राशि ₹1.59 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अधिचाचना क्रमांक 28/2024 दिनांक 16.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दार्शनिक बिल (Proforma Bill) के आधार पर **परिशिष्ट " ज "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹1,59,251.40** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित फतेहपुर को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये जिस कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहडू दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित फतेहपुर से मूल बिल प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल प्राप्त कर नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹7.27 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदये (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि ₹ 7,27,131.24 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट “ झ” में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में त्रुटि हुई है जिसे भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित एवं नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इसको सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.7 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि ₹6.70 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन

तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है और नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कुल स्वीकृत राशि **₹6,70,000.00** के विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ज "** में दिया गया है। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहडू दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः हि०प्र० पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये अपेक्षित अभिलेख नियमानुसार अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. **मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान बारे:-**
- 9.1 **मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करने के कारण राशि ₹16.43 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017- PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा पारित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड

प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 एवं 06/2023 के बिल/वाउचरों से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना राशि **₹16,43,043.53** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ट"** पर संलग्न है। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से नमूना जांच एवं सत्यापन के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च तकनीकी अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹3.36 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रामवि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 एवं 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹3,36,111.25** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहडू दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाये व नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को राशि ₹2.65 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 एवं 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹2,65,646.95 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रस्तुतर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 निर्माण कार्यों की नमूना जाँच न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नमूना जाँच एवं प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी

अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, करधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ट"** पर संलग्न दृष्टांत मामलों ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा। पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत का आय-व्यय निर्धारित प्रपत्र 34 पर नियमित रूप से ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा है जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन व सामग्री के रिसन, दुर्विनियोजन व दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता/खाता बही रजिस्टर	29 (1 से 3)	7
4.	वर्गीकृत सार रजिस्टर	29 (4)	8
5.	अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30

12.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
-----	---	-------	----

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/लाहडू दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/08/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्ट्रों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर जोकि निम्नलिखित हैं, का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रयोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर - II	ग्राम सभा (बैठक) प्रस्ताव और कार्यो की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा (बैठक), प्रस्ताव और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
3.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर

4.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
5.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
7.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/लाहड़ दिनांक 19.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/09/2024 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लाहड़ दिनांक 22.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/LAH/13/2024 दिनांक 22.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथा रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में

नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, करधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

40-44
02 JAN 2025
पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)446/2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
5 सचिव, ग्राम पंचायत लाहड़ू, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025


(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046


(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046

ANNEXURE -1

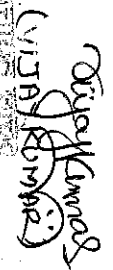
FINANCIAL POSITION OF GP LAHRU FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	168657.00	414027.00	582684.00	355658.00	227026.00
2023-24	227026.00	664357.00	891383.00	584096.00	307287.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1729289.95	2973310.85	4702600.80	2223090.80	2479510.00
2023-24	2479510.00	698743.83	3178253.83	857395.84	2320857.99


(Vijay Kumar)
ग्राम पंचायत लहरो,
विकास खण्ड नगरपालिका
जिला कार्यालय (डि० प्र०)

3

1950

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP LAHRU FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

Sr.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	<u>MMAY</u>	2022-23	1748.00	49.00	1797.00	0.00	1797.00
		2023-24	1797.00	56.00	1853.00	0.00	1853.00
2	<u>VKVNY</u>	2022-23	174671.00	559453.00	734124.00	281961.00	452163.00
		2023-24	452163.00	10864.00	463027.00	150000.00	313027.00
3	<u>MPLAD</u>	2022-23	47194.00	1347.00	48541.00	0.00	48541.00
		2023-24	48541.00	1477.00	50018.00	0.00	50018.00
4	<u>SDP</u>	2022-23	142817.00	325433.00	468250.00	436272.00	31978.00
		2023-24	31978.00	50725.00	82703.00	70400.00	12303.00
5	<u>SBM</u>	2022-23	26251.00	749.00	27000.00	0.00	27000.00
		2023-24	27000.00	822.00	27822.00	0.00	27822.00
6	<u>RAY/AAV</u>	2022-23	1990.00	0.00	1990.00	0.00	1990.00
		2023-24	1990.00	0.00	1990.00	0.00	1990.00
7	<u>13TH FC</u>	2022-23	50743.00	0.00	50743.00	0.00	50743.00
		2023-24	50743.00	19467.00	70210.00	0.00	70210.00
8	<u>14TH FC</u>	2022-23	393335.95	2903.00	396238.95	396238.95	0.00
		2023-24	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
9	<u>15TH FIN</u>	2022-23	890540.00	1034219.00	1924759.00	59461.00	1865298.00
		2023-24	1865298.00	217289.00	2082587.00	241986.01	1840600.99
10	<u>MARRIAGE REGISTRATION</u>	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
		2022-23	0.00	1049157.85	1049157.85	1049157.85	0.00
11	<u>MNREGA</u>	2023-24	0.00	395009.83	395009.83	395009.83	0.00

(Signature)
 (VIJAY KUMAR)
 वरिष्ठ अधिकारी

श्री गणेश नारायण
 निवास एवं नगरपालिका प्रमुख
 निवास नम्वर (880 50)

(Signature)

28

2

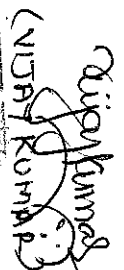
कार्यालय ग्राम पंचायत लाहड़, वि०ख० नगरौटा सूरियां, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176023

ग्राम पंचायत लाहड़ के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE)/ 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	KCCB ज्वाली	20024009053	₹ 3,07,287.00	₹ 3,07,287.00
2	मुख्यमंत्री आवास योजना (M.M.A.Y.)	KCCB ज्वाली	50065716517	₹ 1,853.00	₹ 1,853.00
3	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB ज्वाली	50058195013	₹ 3,13,027.00	₹ 3,13,027.00
4	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	KCCB ज्वाली	50055824080	₹ 50,018.00	₹ 50,018.00
5	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	KCCB ज्वाली	50068733471	₹ 12,303.00	₹ 12,303.00
6	स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	KCCB ज्वाली	50055824091	₹ 27,822.00	₹ 27,822.00
7	राजीव आवास योजना (RAY/AAV)	KCCB ज्वाली	50056730869	₹ 0.00	₹ 1,990.00
8	13वां वित्त आयोग (13 th FC)	KCCB ज्वाली	50051152702	₹ 70,210.00	₹ 70,210.00
9	14वां वित्त आयोग (14 th FC)	KCCB ज्वाली	50055824046	₹ 34.00	34.00
10	15वां वित्त आयोग (15 th FC)	KCCB ज्वाली	50071891944	₹ 18,40,600.99	₹ 18,40,600.99
11	विवाह पंजीकरण शुल्क (Marriage Regl. Fees)	KCCB ज्वाली	50076906627	₹ 3,000.00	₹ 3,000.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 0.00	₹ 0.00
		कुल योग		₹ 26,26,154.99	₹ 26,28,144.99

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा-4(क) अन्तर्शेष :-	₹ 26,28,144.99
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तर्शेष:-	₹ 26,26,154.99
अंतर :-	₹ 1,990.00


 Anil Kumar
 पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत लाहड़
 जिला नगरौटा सूरियां
 जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

(परिशिष्ट "द" "धैरा संख्या" "न" "के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत लाहड़, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176023

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 484 परिवारों का ₹100/- तथा 2023-24 में 484 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	गत अतिशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 31,075.00	484	₹ 100.00	₹ 48,400.00	₹ 79,475.00	₹ 51,575.00	₹ 27,900.00
2023-24	₹ 27,900.00	484	₹ 100.00	₹ 48,400.00	₹ 76,300.00	₹ 37,600.00	₹ 38,700.00
नोट:- दिनांक 31-03-2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 38700/- है।							

Olga Kumar
पंचायत क्षेत्र
ग्राम पंचायत लाहड़
विकास आर्थिक नगरिका सूरिया
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)



ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ इंजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशी ₹ 9.05 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वॉ.सं०/ दिनांक	विल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पुं.सं०	फार्म X/ फार्म Y
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
विल वर्ष 2022-23										
1	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	14.00	m ³	₹ 16,170.00	89	उपलब्ध नहीं है
2	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	15.00	m ³	₹ 13,387.50	89	उपलब्ध नहीं है
3	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	9.00	m ³	₹ 8,032.50	89	उपलब्ध नहीं है
4	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	11.00	m ³	₹ 12,705.00	89	उपलब्ध नहीं है
5	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	35.00	m ³	₹ 31,237.50	89	उपलब्ध नहीं है
6	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	पत्थर	₹ 850.00	29.00	m ³	₹ 25,882.50	89	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)										
7	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	रेत	₹ 1,100.00	10.00	m ³	₹ 11,550.00	89	उपलब्ध नहीं है
8	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	बजरी	₹ 850.00	21.50	m ³	₹ 19,188.75	89	उपलब्ध नहीं है
9	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	21.00	m ³	₹ 18,742.50	89	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तियोग(15TH FC)										
10	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	04, 24/06/2022	250, 5/06/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	145.00	FT ³	₹ 6,090.00	95	उपलब्ध नहीं है
11	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 24/06/2022	249, 5/06/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	150.00	FT ³	₹ 6,300.00	95	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : 14वाँ वित्तियोग (14TH FC)										
12	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	7.50	m ³	₹ 8,662.50	95	उपलब्ध नहीं है
13	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	8.00	m ³	₹ 7,140.00	95	उपलब्ध नहीं है
14	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	3.50	m ³	₹ 4,042.50	95	उपलब्ध नहीं है
15	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.00	m ³	₹ 6,247.50	95	उपलब्ध नहीं है
16	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	75.00	FT ³	₹ 3,150.00	95	उपलब्ध नहीं है
17	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	150.00	FT ³	₹ 5,355.00	95	उपलब्ध नहीं है
18	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	पत्थर	₹ 26.00	70.00	FT ³	₹ 1,911.00	95	उपलब्ध नहीं है
19	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	50.00	FT ³	₹ 2,100.00	95	उपलब्ध नहीं है
20	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	95.00	FT ³	₹ 3,391.50	95	उपलब्ध नहीं है
21	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	पत्थर	₹ 26.00	60.00	FT ³	₹ 1,638.00	95	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNRGA)										
22	Ramesh Kumar Govt Cont.	18/ 15.11.2022	245/ 01.08.2022	पत्थर	₹ 26.00	670.00	FT ³	₹ 18,291.00	74	उपलब्ध नहीं है

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. This section also outlines the specific procedures for recording and verifying financial data.

2. The second part of the document addresses the challenges associated with managing a large volume of data. It highlights the need for efficient data management systems and the importance of regular data audits to ensure the integrity and accuracy of the information. This section also discusses the role of technology in streamlining data management processes.

3. The third part of the document focuses on the importance of communication and collaboration among all stakeholders. It stresses that effective communication is crucial for ensuring that everyone is on the same page and that all necessary information is shared in a timely and accurate manner. This section also outlines the specific communication protocols and channels to be used.

4. The fourth part of the document discusses the importance of ongoing training and development for all staff members. It emphasizes that continuous learning is essential for staying up-to-date on the latest industry trends and best practices. This section also outlines the specific training programs and resources available to staff members.

5. The fifth part of the document discusses the importance of regular reporting and analysis of the organization's performance. It stresses that regular reporting is essential for identifying trends, assessing progress, and making informed decisions. This section also outlines the specific reporting requirements and the tools and techniques used for data analysis.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining a strong relationship with external stakeholders, including customers, suppliers, and regulatory bodies. It emphasizes that effective communication and collaboration with these groups are essential for the success of the organization. This section also outlines the specific communication protocols and channels to be used.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining a strong internal control system. It emphasizes that a robust internal control system is essential for ensuring the accuracy and integrity of the organization's financial data. This section also outlines the specific internal control procedures and the roles and responsibilities of the staff members involved.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a strong risk management system. It emphasizes that a comprehensive risk management system is essential for identifying, assessing, and mitigating potential risks to the organization. This section also outlines the specific risk management procedures and the roles and responsibilities of the staff members involved.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining a strong compliance system. It emphasizes that a robust compliance system is essential for ensuring that the organization is operating in accordance with all applicable laws and regulations. This section also outlines the specific compliance procedures and the roles and responsibilities of the staff members involved.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining a strong ethical system. It emphasizes that a strong ethical system is essential for ensuring that the organization is operating in a fair and transparent manner. This section also outlines the specific ethical guidelines and the roles and responsibilities of the staff members involved.

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./ दिनांक	बिल सं./ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि. पं. सं.	फार्म X / फार्म Y
23	Ramesh Kumar Govt Cont.	39/ 15.11.2022	247/ 01.08.2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	250.00	FT ³	₹ 8,925.00	74	उपलब्ध नहीं है
24	Ramesh Kumar Govt Cont.	40/ 07.11.2022	248/ 01.08.2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	250.00	FT ³	₹ 8,925.00	74	उपलब्ध नहीं है
25	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	191/ 05.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	35.00	m ³	₹ 31,237.50	75	उपलब्ध नहीं है
26	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	193/ 05.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,570.00	75	उपलब्ध नहीं है
27	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	193/ 05.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,693.75	75	उपलब्ध नहीं है
28	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	213/ 18.01.2022	रेत क्रशर	₹ 1,100.00	5.00	m ³	₹ 5,775.00	76	उपलब्ध नहीं है
29	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	213/ 18.01.2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	9.50	m ³	₹ 8,478.75	76	उपलब्ध नहीं है
30	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	195/ 18.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,570.00	75	उपलब्ध नहीं है
31	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	195/ 18.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,693.75	75	उपलब्ध नहीं है
32	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	232/ 05.03.2022	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	3.30	m ³	₹ 2,945.25	75	उपलब्ध नहीं है
33	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	198/ 18.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	6.30	m ³	₹ 5,622.75	75	उपलब्ध नहीं है
34	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	198/ 18.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,570.00	76	उपलब्ध नहीं है
35	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	194/ 18.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,693.75	75	उपलब्ध नहीं है
36	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	194/ 18.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,570.00	75	उपलब्ध नहीं है
37	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	192/ 05.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,693.75	75	उपलब्ध नहीं है
38	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	192/ 05.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,570.00	75	उपलब्ध नहीं है
39	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	196/ 18.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,693.75	75	उपलब्ध नहीं है
40	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	196/ 18.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	5.00	m ³	₹ 4,462.50	75	उपलब्ध नहीं है
41	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	214/ 24.01.2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	1.00	m ³	₹ 892.50	76	उपलब्ध नहीं है
42	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	196/ 18.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,570.00	75	उपलब्ध नहीं है
43	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	190/ 01.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,693.75	75	उपलब्ध नहीं है
44	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	190/ 01.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	22.00	m ³	₹ 25,410.00	75	उपलब्ध नहीं है
45	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	190/ 01.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	5.00	m ³	₹ 4,462.50	75	उपलब्ध नहीं है
46	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	215/ 24.01.2022	पत्थर	₹ 850.00	28.50	m ³	₹ 25,436.25	76	उपलब्ध नहीं है
47	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	188/ 01.11.2021	रेत क्रशर	₹ 1,100.00	11.50	m ³	₹ 13,282.50	75	उपलब्ध नहीं है
48	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	188/ 01.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 1,100.00	22.00	m ³	₹ 25,410.00	75	उपलब्ध नहीं है
49	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	189/ 01.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	5.00	m ³	₹ 4,462.50	75	उपलब्ध नहीं है
50	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	189/ 01.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	10.00	m ³	₹ 8,925.00	75	उपलब्ध नहीं है
51	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	189/ 01.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	1.00	m ³	₹ 892.50	75	उपलब्ध नहीं है
वित्त वर्ष 2023-24										
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
52	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 29/05/2023	278, 15/10/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	429	FT ³	₹ 18,018.00	95	उपलब्ध नहीं है
53	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 29/05/2023	278, 15/10/2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	938	FT ³	₹ 33,486.60	95	उपलब्ध नहीं है
54	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 29/05/2023	278, 15/10/2022	पत्थर	₹ 34.00	467	FT ³	₹ 16,671.90	95	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNRGA)										
55	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	272/ 20.01.2023	पत्थर	₹ 26.00	1970.00	FT ³	₹ 53,781.00	71	उपलब्ध नहीं है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पं० सं०	फार्म X / फार्म Y
56	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 20.06.2023	268/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	105.82	FT ³	₹ 4,444.44	71	उपलब्ध नहीं है
57				बजरी 20mm	₹ 34.00	76.94	FT ³	₹ 2,746.59		
58				बजरी 40mm	₹ 34.00	175.13	FT ³	₹ 6,252.03		
59	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 20.06.2023	266/ 05.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	110.82	FT ³	₹ 4,654.44	71	उपलब्ध नहीं है
60				बजरी 20mm	₹ 34.00	81.06	FT ³	₹ 2,893.95		
61				बजरी 40mm	₹ 34.00	183.93	FT ³	₹ 6,566.33		
62	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 20.06.2023	267/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	114.98	FT ³	₹ 4,829.16	71	उपलब्ध नहीं है
63				बजरी 20mm	₹ 34.00	83.32	FT ³	₹ 2,974.35		
64				बजरी 40mm	₹ 34.00	189.59	FT ³	₹ 6,768.36		
65	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 20.06.2023	270/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	169.98	FT ³	₹ 7,139.16	71	उपलब्ध नहीं है
66				बजरी 20mm	₹ 34.00	123.47	FT ³	₹ 4,407.88		
67				बजरी 40mm	₹ 34.00	259.07	FT ³	₹ 9,248.80		
68	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 20.06.2023	269/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	170.82	FT ³	₹ 7,174.27	71	उपलब्ध नहीं है
69				बजरी 20mm	₹ 34.00	124.60	FT ³	₹ 4,448.22		
70				बजरी 40mm	₹ 34.00	261.91	FT ³	₹ 9,350.01		
71	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 27.06.2023	273/ 25.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	260.00	FT ³	₹ 10,920.00	71	उपलब्ध नहीं है
72				बजरी 20mm	₹ 34.00	500.00	FT ³	₹ 17,850.00		
73				पत्थर	₹ 26.00	350.00	FT ³	₹ 9,555.00		
74	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 27.06.2023	274/ 25.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	400.00	FT ³	₹ 16,800.00	71	उपलब्ध नहीं है
75				बजरी	₹ 34.00	860.00	FT ³	₹ 30,702.00		
76				पत्थर	₹ 26.00	1150.00	FT ³	₹ 31,395.00		
77	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 27.06.2023	275/ 30.01.2023	रेत	₹ 40.00	400.00	FT ³	₹ 16,800.00	71	उपलब्ध नहीं है
78				बजरी	₹ 34.00	700.00	FT ³	₹ 24,990.00		
79				पत्थर	₹ 26.00	1150.00	FT ³	₹ 31,395.00		
80	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil// 20.06.2023	271/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	170.82	FT ³	₹ 7,174.27	71	उपलब्ध नहीं है
81				बजरी 20mm	₹ 34.00	124.60	FT ³	₹ 4,448.11		
82				बजरी 40mm	₹ 34.00	261.91	FT ³	₹ 9,350.01		
					कुल योग		₹ 9,04,529.38			

Primer
Archana Devi
G.P. Lahari

Shy
Technical Assistant
Gram Panchayat, Lahari
Dist. Bt. Nagaria Suran (Kangra) H.P.

Deep Kumar
(Vijay Kumar)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लाहरी
विकास एण्ड नगरिया सुरिया
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

23

2

परिशिष्ट "घ" , पैरा संख्या " 8-2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियाँ (Voids) की कटाती न करने के कारण राशि ₹0.38 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./ दिनांक	बिल सं./ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	कटाती दर	रिक्तियाँ (Voids)
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
1	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	9.00	m ³	₹ 8,032.50	12.5 %	₹ 1,004.06
2	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	पत्थर	₹ 850.00	29.00	m ³	₹ 25,882.50	12.5 %	₹ 3,235.31
3	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	पत्थर	₹ 26.00	70.00	FT ³	₹ 1,911.00	12.5 %	₹ 238.88
4	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	पत्थर	₹ 26.00	60.00	FT ³	₹ 1,638.00	12.5 %	₹ 204.75
अनुदान शीर्ष :विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)										
5	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	21.00	m ³	₹ 18,742.50	12.5 %	₹ 2,342.81
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNRREGA)										
6	Ramesh Kumar Govt Cont.	18/ 15.11.2022	245/ 01.08.2022	पत्थर	₹ 26.00	670.00	FT ³	₹ 18,291.00	12.5 %	₹ 2,286.38
7	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	191/ 05.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	35.00	m ³	₹ 31,237.50	12.5 %	₹ 3,904.69
8	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	196/ 18.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	1.00	m ³	₹ 892.50	12.5 %	₹ 111.56
9	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	214/ 24.01.2022	पत्थर	₹ 850.00	36.00	m ³	₹ 32,130.00	12.5 %	₹ 4,016.25
10	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	215/ 24.01.2022	पत्थर	₹ 850.00	28.50	m ³	₹ 25,436.25	12.5 %	₹ 3,179.53
11	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	189/ 01.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	1.00	m ³	₹ 892.50	12.5 %	₹ 111.56
वित्त वर्ष 2023-24										
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
12	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 29/05/2023	278, 15/10/2022	पत्थर	₹ 34.00	467.00	FT ³	₹ 16,671.90	12.5 %	₹ 2,083.99
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNRREGA)										
13	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	272/ 20.01.2023	पत्थर	₹ 26.00	1970.00	FT ³	₹ 53,781.00	12.5 %	₹ 6,722.63
14	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 27.06.2023	273/ 25.01.2023	पत्थर	₹ 26.00	350.00	FT ³	₹ 9,555.00	12.5 %	₹ 1,194.38
15	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 27.06.2023	274/ 25.01.2023	पत्थर	₹ 26.00	1150.00	FT ³	₹ 31,395.00	12.5 %	₹ 3,924.38
16	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 27.06.2023	275/ 30.01.2023	पत्थर	₹ 26.00	1150.00	FT ³	₹ 31,395.00	12.5 %	₹ 3,924.38
कुल जोड़										₹ 38,485.52

Archana Devi
C.P. Laban

Technical Assistant
Gram Panchayat, Lahru
Distt. Bt, Neerola Suran (Kashipur) H.P.

Typh
Typhander Paul

Deep Kumar
(Vice President)
पंचायत समित

ग्राम पंचायत लाहड़
विकास एवं मनरेगा सुरिया
जिला कारागार (हिो प्रो)

परिशिष्ट " ६ " , पैरा संख्या " ६.३ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करते समय जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.25 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान बारे

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	Ramesh Kumar Govt. Contractor Village Kehrian, P.O. & Teh Jawali, Kangra, GST No. 02AJQPK7745R1ZD	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Carriage and Shuttering	₹ 5,40,498.09	2%	₹ 10,809.96
2	2023-24	Ramesh Kumar Govt. Contractor Village Kehrian, P.O. & Teh Jawali, Kangra, GST No. 02AJQPK7745R1ZD	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Carriage and Shuttering	₹ 4,26,462.25	2%	₹ 8,529.25
Total (R/Off)				₹ 12,72,766.00	2%	₹ 25,455.00

Ramesh
R.S.
Akhana Devi
G.P. Lahari

Technician
Tajinder Paul
Gram Panchayat
Dev. St. Nagrota Suran (Kangra) Dist

Vijay Kumar
(Vishal Kumar)
पंचायत लाहड़
ग्राम पंचायत लाहड़
बिहार नगर लाहड़
बिहार नगर (हि ५०)

43 35

23

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशी ₹ 9.05 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वा.सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X/ फार्म Y
वित्त वर्ष 2022-23										
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
1	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	14.00	m ³	₹ 16,170.00	89	उपलब्ध नहीं है
2	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	15.00	m ³	₹ 13,387.50	89	उपलब्ध नहीं है
3	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	02, 12/04/2022	239, 01/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	9.00	m ³	₹ 8,032.50	89	उपलब्ध नहीं है
4	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	11.00	m ³	₹ 12,705.00	89	उपलब्ध नहीं है
5	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	35.00	m ³	₹ 31,237.50	89	उपलब्ध नहीं है
6	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 11/10/2022	256, 01/10/2022	पत्थर	₹ 850.00	29.00	m ³	₹ 25,882.50	89	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VKVNY)										
7	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	रेत	₹ 1,100.00	10.00	m ³	₹ 11,550.00	89	उपलब्ध नहीं है
8	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	बजरी	₹ 850.00	21.50	m ³	₹ 19,188.75	89	उपलब्ध नहीं है
9	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	21.00	m ³	₹ 18,742.50	89	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तीय वर्ष (15TH FC)										
10	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	04, 24/06/2022	250, 5/06/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	145.00	FT ³	₹ 6,090.00	95	उपलब्ध नहीं है
11	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	05, 24/06/2022	249, 5/06/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	150.00	FT ³	₹ 6,300.00	95	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : 14वाँ वित्तीय वर्ष (14TH FC)										
12	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	7.50	m ³	₹ 8,662.50	95	उपलब्ध नहीं है
13	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	8.00	m ³	₹ 7,140.00	95	उपलब्ध नहीं है
14	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	3.50	m ³	₹ 4,042.50	95	उपलब्ध नहीं है
15	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.00	m ³	₹ 6,247.50	95	उपलब्ध नहीं है
16	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	75.00	FT ³	₹ 3,150.00	95	उपलब्ध नहीं है
17	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	150.00	FT ³	₹ 5,355.00	95	उपलब्ध नहीं है
18	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	16, 12/07/2022	251, 05/07/2022	पत्थर	₹ 26.00	70.00	FT ³	₹ 1,911.00	95	उपलब्ध नहीं है
19	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	रेता क्रशर	₹ 40.00	50.00	FT ³	₹ 2,100.00	95	उपलब्ध नहीं है
20	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	बजरी क्रशर	₹ 34.00	95.00	FT ³	₹ 3,391.50	95	उपलब्ध नहीं है
21	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	17, 12/07/2022	252, 05/07/2022	पत्थर	₹ 26.00	60.00	FT ³	₹ 1,638.00	95	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNRGA)										
22	Ramesh Kumar Govt Cont.	18/ 15.11.2022	245/ 01.08.2022	पत्थर	₹ 26.00	670.00	FT ³	₹ 18,291.00	74	उपलब्ध नहीं है

1

परिशिष्ट " ६ " , पैरा संख्या " ६.३ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करते समय जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.25 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान बारे

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	Ramesh Kumar Govt. Contractor Village Kehrian, P.O. & Teh Jawali, Kangra, GST No. 02AJQPK7745R1ZD	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Carriage and Shuttering	₹ 5,40,498.09	2%	₹ 10,809.96
2	2023-24	Ramesh Kumar Govt. Contractor Village Kehrian, P.O. & Teh Jawali, Kangra, GST No. 02AJQPK7745R1ZD	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Carriage and Shuttering	₹ 4,26,462.25	2%	₹ 8,529.25
Total (R/Off)				₹ 12,72,766.00	2%	₹ 25,455.00

Arshana Devi
P.P. Lahana

Tajinder Paul
Tajinder Paul
Grama Panchayat
Dev. Bl. Nagarua Suran (Kangra) Dist

Vijay Kumar
(Vishwakarma)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लाहड़
जिला पंचायत नगरवा सुरदा
दिल्ली कांसवास (हि0 प्र0)

43 35

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा सीमेंट क्रय से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹1.59 लाख समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष 202-23

क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वा.सं०/दिनांक	प्रोफार्मा बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा (Bags)	भुगतान की गई राशि
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)							
1	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	24974/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 344.70	29.00	₹ 9,996.30
2	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	24973/ 25.12.2021	सीमेंट	₹ 344.70	30.00	₹ 10,341.00
3	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	23920/ 10.03.2022	सीमेंट	₹ 344.70	70.00	₹ 24,129.00
4	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	23920/ 10.03.2022	सीमेंट	₹ 344.70	80.00	₹ 27,576.00
5	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	0101558/ 20.11.2021	सीमेंट	₹ 344.70	29.00	₹ 9,996.30
6	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	0024970/ 25.12.2021	सीमेंट	₹ 344.70	50.00	₹ 17,235.00
7	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	0101559/ 20.11.2024	सीमेंट	₹ 344.70	29.00	₹ 9,996.30
8	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	0024971/ 25.12.2021	सीमेंट	₹ 344.70	50.00	₹ 17,235.00
9	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	0101560/ 20.11.2021	सीमेंट	₹ 344.70	45.00	₹ 15,511.50
10	H.P.S.C.S. Co. Ltd. Rehan	Nil/ 25.05.2022	0024972/ 25.12.2021	सीमेंट	₹ 344.70	50.00	₹ 17,235.00
						कुल जोड़	₹ 1,59,251.40

Archana Devi
Archana Devi

Tajinder Paul
Tajinder Paul
Techinical
(Gram Panchayat, Lahur)
Block: B1, Nagraon Suban (Kangra) H.P.

Deep Kumar
(VIA KA KUMAR)
ग्राम पंचायत लाहड़
विकास एंड नगरिका सुरक्षा
विभाग कागजात (हि0 प्र0)

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 7.27 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मार्ग का नाम	मात्रा	दर	Deno	शुप्रादान की गई राशि GST सहित	टिप्पणी
अनुदान शीर्ष : मनरेगा									
1				परेशर	₹ 26.00	1970.00	FT ³	₹ 51,220.00	
2	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	272/ 20.01.2023	दुलाई एगो तार जूसर से लाहूर तक	₹ 1,500.00	1.00	Trip	₹ 1,500.00	
3				GST @ 5%				₹ 2,560.72	
4				रेत क्रशर	₹ 40.00	105.82	FT ³	₹ 4,232.80	
5	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	268/ 18.01.2023	बजरी 20mm	₹ 34.00	76.94	FT ³	₹ 2,615.80	
6				बजरी 40mm	₹ 34.00	175.13	FT ³	₹ 5,954.32	
7				शटरिंग	₹ 14.00	32.00	FT ²	₹ 448.00	
8				सीमेंट दुलाई	₹ 875.00	1.00	Bag	₹ 875.00	
9				GST @ 5%				₹ 640.16	
10	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	266/ 05.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	110.82	FT ³	₹ 4,432.80	
11				बजरी 20mm	₹ 34.00	81.06	FT ³	₹ 2,756.14	
12				बजरी 40mm	₹ 34.00	183.93	FT ³	₹ 6,253.65	
13				शटरिंग	₹ 14.00	34.00	FT ²	₹ 476.00	
14				सीमेंट दुलाई	₹ 900.00	1.00	Bag	₹ 900.00	
15				GST @ 5%				₹ 672.14	
16	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	267/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	114.98	FT ³	₹ 4,599.20	
17				बजरी 20mm	₹ 34.00	83.32	FT ³	₹ 2,832.71	
18				बजरी 40mm	₹ 34.00	189.59	FT ³	₹ 6,446.06	
19				शटरिंग	₹ 14.00	30.00	FT ²	₹ 420.00	
20				सीमेंट दुलाई	₹ 35.00	25.00	Bag	₹ 875.00	
21				GST @ 5%				₹ 693.92	
22	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	270/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	169.98	FT ³	₹ 6,799.20	
23				बजरी 20mm	₹ 34.00	123.47	FT ³	₹ 4,197.98	
24				बजरी 40mm	₹ 34.00	259.07	FT ³	₹ 8,808.38	
25				शटरिंग	₹ 14.00	128.85	FT ²	₹ 1,803.90	
26				सीमेंट दुलाई	₹ 35.00	43.00	Bag	₹ 1,505.00	
27				GST @ 5%				₹ 990.30	
28	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	269/ 18.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	170.82	FT ³	₹ 6,832.64	
29				बजरी 20mm	₹ 34.00	124.60	FT ³	₹ 4,236.40	
30				बजरी 40mm	₹ 34.00	261.91	FT ³	₹ 8,904.77	
31				शटरिंग	₹ 14.00	128.85	FT ²	₹ 1,803.90	
32				सीमेंट दुलाई	₹ 35.00	43.00	Bag	₹ 1,505.00	
33				GST @ 5%				₹ 998.68	
34	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 27.06.2023	273/ 25.01.2023	रेत क्रशर	₹ 40.00	260.00	FT ³	₹ 10,400.00	
35				बजरी 20mm	₹ 34.00	500.00	FT ³	₹ 17,000.00	
				परेशर	₹ 26.00	350.00	FT ³	₹ 9,100.00	
				सीमेंट दुलाई	₹ 35.00	68.00	Bag	₹ 2,380.00	
				GST @ 5%				₹ 1,825.00	
				रेत क्रशर	₹ 40.00	400.00	FT ³	₹ 16,000.00	
				बजरी	₹ 34.00	860.00	FT ³	₹ 29,240.00	
				परेशर	₹ 26.00	1150.00	FT ³	₹ 29,900.00	
				सीमेंट दुलाई	₹ 35.00	300.00	Bag	₹ 10,500.00	
				GST @ 5%				₹ 3,757.00	

दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया व नियमानुसार निविदाएं खोलने व हेतु कमेटी का गठन नहीं किया गया

37

2

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	Deno	भुगतान की गई राशि gst सहित	टिप्पणी
36	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 27.06.2023	275/ 30.01.2023	रेत	₹ 40.00	400.00	FT ³	₹ 16,000.00	
37				बजरी	₹ 34.00	700.00	FT ³	₹ 23,800.00	
38				पत्थर	₹ 26.00	1150.00	FT ³	₹ 29,900.00	
39	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	271/ 18.01.2023	GST @ 5%				₹ 3,485.00	
40				रेत क्रशर	₹ 40.00	170.82	FT ³	₹ 6,832.64	
41				बजरी 20mm	₹ 34.00	124.60	FT ³	₹ 4,236.30	
42	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 20.06.2023	271/ 18.01.2023	बजरी 40mm	₹ 34.00	261.91	FT ³	₹ 8,904.77	
43				शटरिंग किराया	₹ 14.00	128.85	FT ²	₹ 1,803.90	
44				सीमेंट दलाई	₹ 35.00	43.00	Bag	₹ 1,505.00	
45	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	197/ 18.11.2021	GST @ 5%				₹ 998.68	
46	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	191/ 05.11.2021	किराया पौछे	₹ 1,500.00	1.00	Trip	₹ 1,500.00	
47				पत्थर	₹ 850.00	35.00	m ³	₹ 29,750.00	
48	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	193/ 05.11.2021	GI Wire Rent	₹ 1,500.00	1.00	Trip	₹ 1,500.00	
49				GST 5%				₹ 1,487.50	
50				रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,400.00	
51	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	213/ 18.01.2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,375.00	
52				शटरिंग किराया	₹ 8.00	160.00	FT ²	₹ 1,280.00	
53				सीमेंट दलाई	₹ 30.00	30.00	Bag	₹ 900.00	
54	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	195/ 18.11.2021	GST 5%				₹ 552.76	
55				रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	5.00	m ³	₹ 5,500.00	
56				बजरी क्रशर	₹ 850.00	9.50	m ³	₹ 8,075.00	
57	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	195/ 18.11.2021	शटरिंग किराया	₹ 8.00	3.48	FT ²	₹ 27.84	
58				सीमेंट दलाई	₹ 30.00	49.00	No	₹ 1,470.00	
59				GST 5%				₹ 817.96	
60	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	232/ 05.03.2022	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,400.00	
61				बजरी क्रशर	₹ 850.00	6.30	m ³	₹ 5,355.00	
62				शटरिंग किराया	₹ 8.00	130.00	FT ²	₹ 1,040.00	
63	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	198/ 18.11.2021	सीमेंट दलाई	₹ 30.00	29.00	Bag	₹ 870.00	
64				GST 5%				₹ 460.00	
65				रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,400.00	
66	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	194/ 18.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,375.00	
67				शटरिंग किराया	₹ 8.00	160.00	FT ²	₹ 1,280.00	
68				सीमेंट किराया	₹ 30.00	29.00	Bag	₹ 870.00	
69	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	194/ 18.11.2021	GST 5%				₹ 552.76	
70				रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,400.00	
71				बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,375.00	
72	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	192/ 05.11.2021	शटरिंग किराया	₹ 8.00	115.00	FT ²	₹ 920.00	
73				सीमेंट किराया	₹ 30.00	29.00	Bag	₹ 870.00	
74				GST 5%				₹ 534.00	
75	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	192/ 05.11.2021	रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	5.00	m ³	₹ 4,250.00	
76				बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,375.00	

दो स्थानीय
अखबारों में
विज्ञापन
नहीं दिया
गया व
नियमानुसार
निविदाओं
खोलने व
पारित करने
हेतु कमेटी
को गठन
नहीं किया
गया

Ramesh

[Signature]

Ramesh

146 28



क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	Deno	भुगतान की गई राशि GST सहित	टिप्पणी
77	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	196/ 18.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	1.00	m ³	₹ 850.00	
78				शटरिंग किराया	₹ 8.00	376.00	FT ²	₹ 3,008.00	
79				सीमेंट किराया	₹ 30.00	50.00	Bag	₹ 1,500.00	
				GST 5%				₹ 724.00	
80	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	214/ 24.01.2022	पत्थर	₹ 850.00	36.00	m ³	₹ 30,600.00	
				GST 5%				₹ 1,530.00	
81				रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	4.00	m ³	₹ 3,400.00	
82	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	190/ 01.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.50	m ³	₹ 6,375.00	
83				शटरिंग किराया	₹ 8.00	90.00	FT ²	₹ 720.00	
84				सीमेंट किराया	₹ 30.00	29.00	Bag	₹ 870.00	
				GST 5%				₹ 524.00	
85	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	215/ 24.01.2022	पत्थर	₹ 850.00	28.50	m ³	₹ 24,225.00	
				GST 5%				₹ 1,211.00	
86				रेत क्रशर	₹ 1,100.00	11.50	m ³	₹ 12,650.00	
87	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	188/ 01.11.2021	बजरी क्रशर	₹ 1,100.00	22.00	m ³	₹ 24,200.00	
88				शटरिंग किराया	₹ 8.00	438.00	FT ²	₹ 3,504.00	
89				सीमेंट किराया	₹ 30.00	82.00	Bag	₹ 2,460.00	
				GST 5%				₹ 1,742.70	
90				रेत देहर खड्ड	₹ 850.00	5.00	m ³	₹ 4,250.00	
91				बजरी क्रशर	₹ 850.00	10.00	m ³	₹ 8,500.00	
92	Ramesh Kumar Govt Cont.	Nil/ 25.05.2022	189/ 01.11.2021	पत्थर	₹ 850.00	1.00	m ³	₹ 850.00	
93				शटरिंग किराया	₹ 8.00	376.00	FT ²	₹ 3,008.00	
94				सीमेंट किराया	₹ 30.00	53.00	Bag	₹ 1,590.00	
				GST 5%				₹ 830.40	
	अनुदान शीर्ष :विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (VRVNY)								
95	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	रेत	₹ 1,100.00	10.00	m ³	₹ 11,550.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया व
96	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	बजरी	₹ 850.00	21.50	m ³	₹ 19,188.75	
97	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	01, 19/05/2022	240, 15/04/2022	पत्थर	₹ 850.00	21.00	m ³	₹ 18,742.50	
	अनुदान शीर्ष :4वाँ वित्तियोग (14TH FC)								
98	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	7.50	m ³	₹ 8,662.50	नियमानुसार निविदाये खोलने व परित करने हेतु कम्पटी का गठन नहीं किया गया
99	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	8.00	m ³	₹ 7,140.00	
100	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	12, 19/05/2022	243, 18/05/2022	सीमेंट दुलाई	₹ 30.00	38.00	bag	₹ 1,140.00	
101	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	रेता क्रशर	₹ 1,100.00	3.50	m ³	₹ 4,042.50	
102	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	बजरी क्रशर	₹ 850.00	7.00	m ³	₹ 6,247.50	
103	RAMESH KUMAR GOVT. CONT.	13, 19/05/2022	244, 18/05/2022	सीमेंट दुलाई	₹ 30.00	35.00	bag	₹ 1,050.00	
						कुल जोड़		₹ 7,27,131.24	

Arshana Devi

Technical Assistant
Jyoti Panchayal
Dev. Bl. Nagaria Surian (Kangra) H.P.

Sanjay Kumar
(V.P. Officer)

ग्राम पंचायत साहबू
विकास कार्य नगरपाला सुरिया
जिला कांगड़ा (हि 50)



(परिशिष्ट " 2" " पैरा संख्या " 2-7 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹6.70 लाख के निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेख (आप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि
1	SDP	मुरमत एम्बुलेस रोड मझा मन्दिर से लाहड़ बस्ती बार्ड न० -4।	2021-22	₹ 2,50,000.00	₹ 2,49,500.00
2	VK/VNY	निर्माण रास्ता लीला देवी के घर से प्रमोद सिंह के घर तक।	2021-22	₹ 2,00,000.00	₹ 1,99,626.00
3	14TH FC	निर्माण रास्ता कपूर सिंह सपुत्र श्री धर्म सिंह गाँव - मैहसकर	2020-21	₹ 1,00,000.00	₹ 93,262.00
4	14TH FC	निर्माण रास्ता साहिब सिंह, अजय कुमार के घर से जुएं तक	2020-21	₹ 1,20,000.00	₹ 1,14,228.00
			कुल जोड़	₹ 6,70,000.00	₹ 6,56,616.00

Techinical
Jean Panthyal
Dev. Bl. Nagaria Suran (Kangra) H.P.

Signature
Tayhaer Paul

Signature
(VIJAY KUMAR)
पंचायत साक्षर
ग्राम पंचायत लाहड़
शिकाफा चण्ड नगरिया सुरिया
जिला कमंडा (हि० प्र०)

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना व भाग पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विश्ववीथ तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करना तथा नमूना जांच न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹16.43 लाख के अनिवारित भुगतान का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत	स्वीकृत राशी	कुल प्राप्त राशी	कुल व्यय राशी	भुत्पाकन राशि	एम० बी० सं० / पु० सं०	कार्य की स्थिति
1	निर्माण वाटर टैंक राजेश कुमार पुत्र रामसरन गावं तहसिलिया	2020-21	₹ 79,686.00	₹ 62,432.42	₹ 62,432.42	₹ 62,600.00	25575, 25353/79,26.27	पूर्ण
2	निर्माण वाटर टैंक भीष्म सिंह पुत्र श्री जगत राम गावं ताहिलिया	2020-21	₹ 80,000.00	₹ 62,109.42	₹ 62,109.42	₹ 62,300.00	25353/80,29.30	पूर्ण
3	निर्माण कैट सालिग्राम, सिन्धो देवी, श्याम लाल ताहिलिया	2021-22	₹ 1,42,057.00	₹ 96,119.16	₹ 96,119.16	₹ 96,119.16	25575, 25353/31,32	पूर्ण
4	निर्माण सुरक्षा दिवार नरेश कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह गावं मेहल्कर	2021-22	₹ 33,380.00	₹ 31,068.00	₹ 31,068.00	₹ 34,200.00	25575, 25353/63,23	पूर्ण
5	निर्माण सुरक्षा दिवार सुभाष चन्द पुत्र चमेल सिंह गावं लाहड़	2020-21	₹ 35,000.00	₹ 32,465.00	₹ 32,465.00	₹ 35,000.00	25575, 25353/80,19.20	पूर्ण
6	निर्माण सुरक्षा दिवार संतोष कुमारी पुत्र केवल सिंह गावं लाहड़	2020-21	₹ 34,918.00	₹ 31,458.55	₹ 31,458.55	₹ 34,900.00	25575, 25353/62,18.21	पूर्ण
7	निर्माण वाटर टैंक राजेंद्र सिंह पुत्र श्री चंचल सिंह	2020-21	₹ 80,000.00	₹ 63,474.22	₹ 63,474.22	₹ 68,400.00	25575, 25353/36,10	पूर्ण
8	निर्माण जीपवेल् रोड जेम सिंह, कल्प सिंह	2021-22	₹ 1,48,260.00	₹ 1,01,943.00	₹ 1,01,943.00	₹ 1,03,670.00	25575, 25353/22,24.25	पूर्ण
9	निर्माण एम्बुलेंस रोड लाल सिंह के घर से संजीव कुमार अग्रवानी कुमार	2021-22	₹ 4,98,205.00	₹ 2,63,635.00	₹ 2,63,635.00	₹ 2,63,635.00	25342, 25352/33,27	पूर्ण
10	पैरासोपाय और श्रुति सप्तल बलवार सिंह, बलवान सिंह, सुदीप सिंह मेहल्कर	2021-22	₹ 49,676.00	₹ 30,200.00	₹ 30,200.00	₹ 30,200.00	25574/51,54	पूर्ण
11	निर्माण वाटर टैंक सरजीवन सिंह पुत्र श्री बलू राम गावं लाहड़ मनरेगा-15वां चित्तयोग	2021-22	₹ 40,000.00	₹ 39,660.00	₹ 39,660.00	₹ 70,000.00	25353/7,8	पूर्ण
12	निर्माण कैट कार्गु सुजीव सिंह, सरूप सिंह, बलवीर सिंह बनार	2020-21	₹ 1,92,713.00	₹ 1,20,883.50	₹ 1,20,883.50	₹ 1,20,883.00	25574/24,64,69,72	पूर्ण
13	निर्माण सुरक्षा दिवार गंधर्व सिंह पुत्र श्री विरपा सिंह गावं ताहिलिया	2020-21	₹ 34,100.00	₹ 28,362.36	₹ 28,362.36	₹ 29,190.00	25574/35,70	पूर्ण
14	निर्माण वाटर टैंक संजीव सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह	2020-21	₹ 79,752.00	₹ 60,825.75	₹ 60,825.75	₹ 60,826.00	25574/25,70,78,80	पूर्ण
15	निर्माण सुरक्षा दिवार वैन सिंह पुत्र बसोेल सिंह गावं मेहल्कर	2020-21	₹ 33,930.00	₹ 28,548.36	₹ 28,548.36	₹ 28,539.00	25574,132,63	पूर्ण
16	निर्माण सुरक्षा दिवार श्रीकर सिंह पुत्र श्री सिंह गावं लाहड़	2020-21	₹ 33,380.00	₹ 26,687.30	₹ 26,687.30	₹ 26,688.00	25574/50,87	पूर्ण
17	निर्माण कैट कार्गु भाग सिंह पुत्र जगत राम	2020-21	₹ 90,998.00	₹ 67,736.00	₹ 67,736.00	₹ 80,600.00	25353/37,39	पूर्ण
18	निर्माण सुरक्षा दिवार मुरी सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह गावं लाहड़	2020-21	₹ 34,991.00	₹ 28,332.36	₹ 28,332.36	₹ 28,323.00	25574/40,68	पूर्ण
19	निर्माण सुरक्षा दिवार पुर को राम पुत्र श्री चंचल सिंह गावं ताहिलिया	2020-21	₹ 35,000.00	₹ 28,273.56	₹ 28,273.76	₹ 28,273.76	25353/62,18,21,22	पूर्ण
20	निर्माण सुरक्षा दिवार पार्थिव सिंह पुत्र श्री बंसी लाल गावं लाहड़	2020-21	₹ 29,963.00	₹ 27,942.06	₹ 27,942.06	₹ 27,943.00	25574/41,66,75	पूर्ण
21	निर्माण वाटर टैंक महिंदर सिंह पुत्र बंसी लाल गावं लाहड़	2020-21	₹ 75,999.00	₹ 57,739.58	₹ 57,739.58	₹ 57,739.00	25574/35,67,61	पूर्ण
22	श्रुति सप्तल और कैट कार्गु हंस राज पुत्र श्री राय सिंह गावं लाहड़	2020-21	₹ 99,978.00	₹ 84,790.00	₹ 84,790.00	₹ 84,790.00	25574/81,85,87	पूर्ण
23	श्रुति कटाल और सुरक्षा दिवार मेहूर सिंह पुत्र श्री किहू राम गावं लाहड़	2020-21	₹ 34,100.00	₹ 27,744.36	₹ 27,744.36	₹ 27,745.00	25574/33,60	पूर्ण
24	निर्माण कैट कार्गु मिलाप सिंह, विजय राज श्रुति गावं लाहड़	2020-21	₹ 95,486.00	₹ 69,566.26	₹ 69,566.26	₹ 69,567.00	25574/45,82,84	पूर्ण
25	निर्माण सुरक्षा दिवार जयज कुमार पुत्र श्री रणपाल सिंह बसीन	2020-21	₹ 97,957.00	₹ 85,140.40	₹ 85,140.00	₹ 85,140.00	25574/16,58,61	पूर्ण
26	निर्माण सुरक्षा दिवार कपिल देव, राजेश कुमार, जरा देवी की बसोन	2021-22	₹ 93,553.00	₹ 24,224.00	₹ 24,224.00	₹ 24,224.00	25574/88	पूर्ण
27	निर्माण वाटर टैंक सुधीर सिंह पुत्र श्री राजेश्वर सिंह गावं लाहड़	2020-21	₹ 79,989.00	₹ 61,683.11	₹ 61,683.11	₹ 64,684.00	25574/56,52,18	पूर्ण
		कुल योग	₹ 23,63,071.00	₹ 16,43,043.73	₹ 16,43,043.56	₹ 17,03,178.92		

Gram Panchayat
Dev. B.I. Nagarola Suran (Kangra) H.P.

पंचायत लाहड़
ग्राम पंचायत लाहड़
विकास कार्य नगरला सुरिया
हिरण कर्मका (सि 50)

ग्राम पंचायत बाहड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निधिरित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹3.36 लाख के अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का प्रायः जाना

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	सामग्री पर व्यय का 40%)	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1	C/O Protection Wall Nareesh Kumar S/O Balbir Singh Vill Mehaakar	1304010477//F /32157341	₹ 31,068.50	₹ 25,262.50	₹ 12,427.40	₹ 12,835.10
2	C/O Protection Wall Subhash Chand S/O Chamel Singh Vill:- Lahru	1304010477//F /32160134	₹ 32,465.84	₹ 26,331.84	₹ 12,986.34	₹ 13,345.50
3	C/O Protection Wall Santosh Kumar S/O Kewal Singh Ward No 3GP Lahru	1304010477//F /32170594	₹ 31,458.55	₹ 26,362.55	₹ 12,583.42	₹ 13,779.13
4	C/O Water Tank Rajinder Singh S/O Chanchal Singh Vill Tahliya GP Lahru	1304010477//F /32170610	₹ 63,474.22	₹ 46,735.22	₹ 25,389.69	₹ 21,345.53
5	C/O Water Tank Rajesh Kumar S/O Ram Saran Vill Tahliya Ward No 1 GP Lahru	1304010477//F /32175756	₹ 62,432.42	₹ 47,186.42	₹ 24,972.97	₹ 22,213.45
6	C/O Water Tank Bhikham Singh S/O Jagat Singh Vill:-Beh Ward No:-05 GP Lahru	1304010477//W C/32095138	₹ 62,109.42	₹ 46,911.42	₹ 24,843.77	₹ 22,067.65
7	C/O Crate Work Bhag Singh S/O Jagat Ram Vill Tahliya	1304010477//F /32170593	₹ 67,736.00	₹ 46,857.00	₹ 27,094.40	₹ 19,762.60
8	C/O Protection wall Gandharv Singh S/O Kirpa Singh Vill:- Tahliyan	1304010477//F /32156659	₹ 28,362.36	₹ 23,016.36	₹ 11,344.94	₹ 11,671.42
9	C/O Water Tank Sanjeev Kumar S/O Harnam Singh Vill:- Beh	1304010477//F /32156662	₹ 60,825.75	₹ 40,233.75	₹ 24,330.30	₹ 15,903.45
10	C/O Protection wall Chain singh S/O Bagel singh Vill Mehaakar	1304010477//F /32157342	₹ 28,548.36	₹ 22,608.36	₹ 11,419.34	₹ 11,189.02
11	C/O Protection wall Kiker Singh S/O Bhuri singh Vill:- Lahru	1304010477//F /32160135	₹ 26,687.30	₹ 21,026.30	₹ 10,674.92	₹ 10,351.38
12	C/O Protection Wall Bhuri Singh S/O Bhagwaan Singh Vill Lahru GP Lahru	(1304010477//F /32170608)	₹ 28,332.36	₹ 22,986.36	₹ 11,332.94	₹ 11,653.42
13	C/O Protection Wall Gurko Ram S/O Taro Ram House Vill Tahliya GP Lahru	1304010477//F /32170612	₹ 28,273.56	₹ 22,927.56	₹ 11,309.42	₹ 11,618.14
14	C/O Protection Wall Papinder Singh S/O Bansal Lal Vill Lahru GP Lahru	1304010477//F /32170614	₹ 27,942.06	₹ 22,596.06	₹ 11,176.82	₹ 11,419.24
15	C/O Water Tank Mahinder Singh S/O Bansal Lal Vill Lahru GP Lahru	1304010477//F /32170615	₹ 57,739.58	₹ 39,325.58	₹ 23,095.83	₹ 16,229.75
16	C/O Land Levelling and Crate Work Hans Raj S/O Raj Singh Land GP Lahru	1304010477//F /32170616	₹ 84,790.00	₹ 56,674.00	₹ 33,916.00	₹ 22,758.00
17	C/O Soil Erosion and Protection wall Mehar Singh S/O khru Ram GP Lahru	1304010477//F /32170625	₹ 27,744.36	₹ 22,398.36	₹ 11,097.74	₹ 11,300.62
18	C/O Crate Work Miliap Singh, Tilak Raj Land Vill:- Lahru Ward No 2	1304010477//F /32175757	₹ 69,566.26	₹ 52,340.26	₹ 27,826.50	₹ 24,513.76
19	C/O Protection Wall Alay Kumar S/O Rashpal Singh Land Vill:- Lahru	1304010477//LD /32086040	₹ 85,140.40	₹ 67,914.40	₹ 34,056.16	₹ 33,858.24
20	C/O Water Tank Sudheer Singh S/O Rajeshwar Singh Vill:- Lahru	1304010477//W C/32087272	₹ 61,683.11	₹ 42,969.11	₹ 24,673.24	₹ 18,295.87
		कुल जोड़	₹ 9,66,380.41	₹ 7,22,663.41	₹ 3,86,552.16	₹ 3,36,111.25

Archana Devi
R.P. Lahru

Technical Assistant
Gram Panchayat Lahru
Dist. Bt. Nangra Sutan (Kangra) H.P.

(Vijay Kumar)

विभाग प्रमुख नगरपालिका कार्यालय
विभाग प्रमुख (वि. प्र.)

56

परिशिष्ट " ड " , धारा संख्या " १.३ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लाहड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹2.65 लाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि
1	C/O Protection Wall Nareesh Kumar S/O Balbir Singh Vill: Mehaskar	1304010477/IF/32157341	₹ 31,068.50	₹ 25,262.50
2	C/O Protection Wall Subhash Chand S/O Chameal Singh Vill:- Lahru	1304010477/IF/32160134	₹ 32,465.84	₹ 26,331.84
3	C/O Protection Wall Santosh Kumari S/O Kewal Singh Ward No 3GP Lahru	1304010477/IF/32170594	₹ 31,458.55	₹ 26,362.55
4	C/O Water Tank Rajinder Singh S/O Chanchal Singh Vill Tahliya GP Lahru	1304010477/IF/32170610	₹ 63,474.22	₹ 46,735.22
5	C/O Water Tank Rajesh Kumar S/O Raman Saran Vill Tahliya Ward No 1 GP Lahru	1304010477/IF/32175756	₹ 62,432.42	₹ 47,186.42
6	C/O Water Tank Bhikham Singh S/O Jagat Singh Vill:-Beh Ward No:-05 GP Lahru	1304010477/MC/32095138	₹ 62,109.42	₹ 46,911.42
7	C/O Crate Work Bhag Singh S/O Jagat Raman Vill Tahliya	1304010477/IF/32170593	₹ 67,736.00	₹ 46,857.00
		कुल जोड़	₹ 3,50,744.95	₹ 2,65,646.95

Aradhana Devi
Aradhana Devi
G.P. Lahru

Toginder Paul
Toginder Paul
Technical Assistant
Gram Panchayat Lahru
Dev. Bl. Nagrota Suran (Kangra) H.P.

Shyamsunder
Shyamsunder
(V.O. R. D. B. R. K.)
ग्राम पंचायत लाहड़
मिनिस्टर ऑफ नगरपालिका सुरिया
दिल्ली विकास (वि० प्र०)

51 43

